

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 367 / 13

संस्थापन दिनांक:-19 / 09 / 13

फाईलिंग नं. 233504000712013

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

गोलू उर्फ यशवंत पिता कमल भारती,
उम्र 27 वर्ष, निवासी लालावाड़ी,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 30.07.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 19.09.2013 को सुबह 08:00 बजे या उसके लगभग ग्राम लालावाड़ी अम्बेडकर चौके के पास थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 10½ इंच चौड़ाई 1½ इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 19.09.2013 को प्रधान आरक्षक बिसनसिंह टेलीफोन से प्राप्त सूचना के आधार पर हमराह स्टाफ आरक्षक क्र. 310 के साथ ग्राम लालावाड़ी मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचा जहां अभियुक्त हाथ में लोहे की धारदार छुरी लिये मिला। अभियुक्त द्वारा छुरी रखने का प्रमाण पत्र पेश नहीं करने पर अभियुक्त से गवाह यादोराव एवं परसराम के समक्ष छुरी जप्त की गयी तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 318 / 13 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये

अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 19.09.2013 को सुबह 08:00 बजे या उसके लगभग ग्राम लालावाड़ी अम्बेडकर चौके के पास थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 10½ इंच चौड़ाई 1½ इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

5 बिसनसिंह (अ.सा.-2) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 12.09.2013 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए वह टेलीफोन से प्राप्त सूचना के आधार पर हमराह स्टाफ के अम्बेडकर चौक लालावाड़ी पहुंचा जहां अभियुक्त हाथ में तलवार लेकर लहराते हुए लोगों को डराते धमकाते हुए मिला जिससे गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) तैयार किया था तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क्र. 318/13 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-3) लेख की थी। साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसके द्वारा अभियुक्त के कब्जे से जप्त की गयी लोहे की छुरी आर्टिकल-ए है।

6 साक्षी राजेश (अ.सा.-3) ने उसके न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त की पहचान करते हुए प्रकट किया है कि वर्ष 2013 में वह थाना आमला में आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए प्रधान आरक्षक बिसनसिंह के साथ ग्राम लालावाड़ी गया था जहां अभियुक्त छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा था जिस पर प्रधान आरक्षक बिसनसिंह ने अभियुक्त से छुरी जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

7 परसराम (अ.सा.-1) ने उसके न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त की पहचान करते हुए प्रकट किया है कि घटना अम्बेडकर चौक लालावाड़ी की रात्रि 8 बजे की है। घटना के समय अभियुक्त लोहे की धारदार छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा था और अभियुक्त ने उसे भी डराया धमकाया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि बिसन साहब ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर उससे लोहे की छुरी जप्त की थी। साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उसके हस्ताक्षर होना भी बताया है।

8 साक्षी यादोराव (अ.सा.-4) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है परंतु साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुआ है।

9 परसराम (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथन में घटना रात्रि 8 बजे की होना तथा साथ ही अभियुक्त द्वारा छुरी लेकर उसे भी डराना धमकाना बताया है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 2 में उक्त साक्षी ने घटना रात्रि 08:30-9 बजे की होना स्वीकार किया है। पैरा क. 3 में उक्त साक्षी ने अभियुक्त गोलू से घटना के पूर्व झगड़ा होना भी स्वीकार किया है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 6 में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि बिसनसिंह (अ.सा.-2) ने उसके समक्ष अभियुक्त से न कुछ जप्त किया था और न ही उसे गिरफ्तार किया था और न ही इस संबंध में उससे कोई पूछताछ की गयी थी। स्पष्टतः उक्त साक्षी अपने कथनों पर स्थिर नहीं है। साथ ही उक्त साक्षी घटना रात्रि 8 बजे की होना बता रहा है जबकि अभियोजन कथा के अनुसार घटना सुबह 7-8 बजे की है। अतः उक्त साक्षी के कथनों पर विश्वास किया जाना सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है।

10 राजेश (अ.सा.-3) जो कि पुलिस साक्षी होकर घटना दिनांक को विवेचक बिसनसिंह (अ.सा.-2) के साथ हमराह था। उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में बिसनसिंह के साथ ग्राम लालवाड़ी जाना एवं वहां पर उसके समक्ष बिसनसिंह द्वारा अभियुक्त से छुरी जप्त किया जाना बताया है। जबकि प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 3 में बचाव के इस सुझाव को सही होना बताया है कि जब वे लोग घटना स्थल पर पहुंचे तो अभियुक्त को पकड़कर सीधे थाने लेकर आ गये थे। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 4 में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को भी सही बताया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जप्तशुदा छुरी कहां से लायी गयी थी। स्पष्टतः उक्त साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में किये गये कथनों पर ही स्थिर नहीं है जिससे यह साक्षी भी विश्वसनीय नहीं रह जाता है।

11 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी यादोराव ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है तथा साक्षी परसराम अभियुक्त से पूर्व से परिचित होकर उसका अभियुक्त से मन मुटाव है इसलिए वह हितबद्ध साक्षी है। अतः मात्र पुलिस साक्षियों के कथनों के आधार पर अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ऐ.आई.आर.1973 एससी 2783** अवलोकनीय है। जिसके अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः बचाव अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में एवं विवेचक साक्षी बिसनसिंह (अ.सा.-2) एवं राजेश (अ.सा.-3) की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

13 बिसनसिंह (अ.सा.-2) ने मुखबिर द्वारा टेलीफोन पर सूचना प्राप्त होने के आधार पर ग्राम लालावाड़ी मौके पर हमराह आरक्षक राजेश के साथ जाकर मौके पर अभियुक्त से गवाहों के समक्ष धारदार छुरी जप्त करना एवं अभियुक्त को गिरफ्तार करना एवं प्रकरण पंजीबद्ध करना बताया है। उक्त साक्षी ने प्रति परीक्षण के पैरा क. 6 में बचाव के इस सुझाव को सही होना बताया है कि जप्ती पत्रक पर नमूना सील नहीं लगायी गयी है। प्रति परीक्षण के पैरा क. 7 में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि जप्ती पत्रक में जप्तशुदा आयुध की नाप किससे की गयी थी उसका उल्लेख नहीं है। साक्षी ने स्वतः में व्यक्त किया है कि टेप से ही आयुध की लंबाई चौड़ाई नापी गयी थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 5 में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि सूचना मिलने पर वह साक्षी यादोराव को साथ में लेकर गया था और साक्षी परसराम लालावाड़ी रास्ते में मिला था। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-3) के अवलोकन से दर्शित है कि सूचना प्राप्त होने पर मौके पर उक्त साक्षी हमराह स्टाफ राजेश के साथ मौके पर पहुंचा था। जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) के अवलोकन से यह दर्शित नहीं होता है कि जप्तशुदा आयुध गवाहों के समक्ष जप्त कर सील बंद किया गया हो। जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी (प्रदर्श प्री-2) में अपराध क्रमांक अंकित है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के उपरांत तैयार किये गये होंगे। साथ ही जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) में जप्तशुदा आयुध के गवाहों के समक्ष सीलबंद न किये जाने का उल्लेख न होने से एवं साथ ही उक्त साक्षी के न्यायालयीन कथनों में भी तत्संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रकट न होने से निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि जप्तशुदा आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था।

14 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 19.09.2013 को सुबह 08:00 बजे या उसके ग्राम लालावाड़ी अम्बेडकर चौक के पास आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत सार्वजनिक स्थान में अपने आधिपत्य में एक लोहे की छुरी प्रतिबंधित आकार की बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप

से रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त गोलू उर्फ यशवंत को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

15 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की धारदार छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत तोड़कर नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

17 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)